



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस निगर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175,2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7197 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
 सहित जोर D.NO. 7344/-

प्रति,

श्री ओह माद डामाज डामाज ओह माद जडिम सुखलक्ष्मी कताफ
मासिके डीरव दिस्सु गुंभी निवासी: चण्डेश्वर डामाद
ताई. जिला. लाहोर (जल प्रदी)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिरागें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यार्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 9 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक/

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 5789/14-06-2012

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री मे. 3 मसान श्री 0 मे. 15 न मुतवल्ली वक्फ मालिकी,
श्री व. प्रि. सु. मु. 211 विवासा-चौ. प. 3 र. 12 इ. 110' 2 (क. 2. 50)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 37947/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल - - - से लगायत साल - - - भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	1062609/-	520526/-	542083/-	542083/-	2%	37947/-		A/C 9

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालमुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वक्फ

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7198/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
साईफोट D.NO. 7345/-

प्रति,

श्री श्री. स्ता. डिवायस वक्फ दरगाह पीली चौडी
निवासी: चन्द्रशेखर पाई पिलरा टाकी के साहू
पिल्ला. लाठार (गठमर)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 4 नस्ती क्र. 35 डिमाण्ड नोटिस सन् 2012-013 जावक नं. दिनांक 5804/14-06-2013

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री शहीद रां अहमद वक्फ दरगाह पीली कोठी लाठार

निवासी-चन्द्रबोस्तार्ड विजय राकीण के पास जिला-लाठार (मप्र)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व हिसाबात लक्ष्यार

केवल 26971/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012 2013	-	-	-	-	385300/-	1/-	26971/-		4/c 35

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7199/- भोपाल, दिनांक 20.08.2013

सं. 7346/-

प्रति,

श्री मोहम्मद रईस अहमद मोहम्मद याकूब अहमद
पुस्तक समिति वक्फ तन्जीर फ़मेरी हागर
जिताली कसई मंडी निगत सिंह चार्ज हागर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल
शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 34 डिमाण्ड नोटिस 2012-2013 सन् जावक नं. दिनांक 58/5/14-06-2013
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता श्री गुरु रईस झा आ. यादव आ. शर्मा प्रबंध समिति वक्फ
तन्जीम कमेटी सागर निवासी कुमाई अंकी मेहन सिंह वार्ड - सागर (म.प्र.)
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व दिनांक 1/1/2013

केवल 11508/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबत साल से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	103600/- शुद्ध आय कुल राशि	7/100	7252/- 4256/- 11508/-		1/34

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. चर्लक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड भोपाल)
 ज्ञान कम्पस नियर जवाहर नगराज भोपाल फोन: 2543176/2543177
 ई-मेल: mp_wakfboard@yahoo.co.in

Regd AD क्र. / नं. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड/D.NO.7196/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
 Speed Post - D.NO.7343/-

प्रति,

श्री डॉ. लताफ कौदर राईन आताफ ख. हुसैन बख्श डीरगझ
वक्फ जिम्मा मालिक कटरा बाजार जिला 1/8 हाटर बाजार
जिला- हाटर (ज.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक वजत वगैरह को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत तैयार करने के लिए वक्फ बोर्ड को प्रवृत्त नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित वजत, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 4 नस्ती क्र. 5 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

कमिटी अल्लामा कालिदास 212 ग आ 10 2व. हुसैन बख्श आद 212

वक्फ जामा मसाजिद कटरा बालार निगामी 1/8 सदर बाजार फिरो सागर

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

अनुमानित डिमाण्ड डिग्रय

केवल 105000/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2006-07 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	1,50,00,000/-	7%	1,05,000/-		A/c 5
								1,05,000/-		
						26.7.013		10,50,000/-		
								NIL		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैंपस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7221 /- भोपाल, दिनांक 13-08-2013
स्पाइकोले D.NO. 7366 /-

प्रति,

श्री एस. डी. एम. खान.
वक्फ जामा मास्जिद बीना बजरिया,
जिला. झाबर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है। 2012-13

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 1/ डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. 1075/03-8 दिनांक 013

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : एल.डी.एम. बीना जिला-नागौर (म.प्र.)

वक्फ जामा मसजिद बीना वज्रिया जिला-नागौर (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व राशि का ब्याज

केवल 102104/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2008-09 से लगभग-साल 2011-12, 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
जामा मसजिद बीना वज्रिया जिला-नागौर (म.प्र.)		2011-2012	-	-	-	417600/-	7/1	29232/-		A/c 4
		2012-2013	-	-	-	417600/-	7/1	29232/-		
						पूर्व राशि		43640/-		
								102104/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित
वक्फ बोर्ड भोपाल नियंत्रण समिति भोपाल भवन, भोपाल-462001 (म.प्र. 25/4/2013/7374/14)
ई-मेल: mp_wakfbord@madhyapradesh.gov.in

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7228/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सूचकोत्तर D.NO. 7374/-

प्रति,

श्री डा. अरुण इलियास कुरैशी आलम इमाम अहमद, इल्हास
अहमद वक्फ जामा अहमदिय मुस्लिम कमिटी देवरी
निवासी: तिलक कड देवरी ककां - हाठार

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को (क्र. प्र.)
समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ
अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के
मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की
धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक वजत कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत
वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं
किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की वंदा निगरानी जमा करने के
लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार
आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का
उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ
अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित वजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी
की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग
लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

4

3

सन्

दिनांक

डा. १२३४५६७८९

ક્રાંતિ) ડા. શેરવ હિરિયાસ કુરશી : મદયકા વાચકાનાં.

मास्जिद मुसलम कमेटी देवरी निवासी: निलाक वाई देवरी काना (नागर)

જિ.ઉ. મે પ્રસ્તુત હિસાબાતકે આધાર પર

केवल 10.150 रुपये निर्धारित किया गया चन्द्रा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल

से लगायत साल

भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012- 2013	-	-	-	15,340/-	71	10738/-	S 10738/-	A/c 3

दीर्घर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता, क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

का. सं. प्र. वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का
मुख्य कार्यालय ज़िन्दाग नगरी, मरसिदाबाद, भोपाल, पिन-462002, 22/11/14।
ई-मेल: mp_wakfboard@godilmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड / D.No. 7229 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वा. प्रो. D.No. 7375 /-

प्रति,

श्री मोहम्मद सादिक अकराम अहमद जामा मस्जिद बागडा
जिला: डा. ज़िन्दाग नगरी (हूसेन गार्ड प्लॉट 8 बागडा)
जिला: सागर (क्र. प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अंतर्गत एक लाख से अधिक आयदगी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय पर वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की वृद्धा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 5798/14-06-21/3
 शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 7 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक न. दिनांक
 डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री मो. सलीम अकराबा मध्यक्ष जामा मस्जिद वडा
 निवास : 510 जगदिर कुसैण का 5 फ्ल 8 वडा जिला - लाठार (मध्य)
 हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबालत 37945

केवल 37945 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
 भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	301600/- पूर्व राशि कुल राशि	4/1	21112/- 16833/- 37945 = w.		A/C 7

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. ईचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995) के अन्तर्गत वर्ष 2013 का वक्फ बोर्ड
मुख्य कार्यालय निम्न जानकारी में संचालित भोपाल फोन: 0755-2541176/2541177
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /नं. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7230/- भोपाल दिनांक 13.08.2013

संबंधित D.NO 7376/-

प्रति,

श्री मुही उद्दीन जीलाणा डाला खोश करीम उद्दीन
अहमद वक्फ (जामा अहमद) व रेल्वे स्टेशन अहमद
खुर्रई निवासी प्रताप पाई खुर्रई जिला- झांझार (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अंतर्गत एक लाख से अधिक आयदगी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतबल्ली का निर्वाचन किया जाना है वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय में म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा ऑडिट 4 नस्ती क्र. 6 डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक 6657/08.7.013

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

मुहम्मद उद्दीन जीलान शेरवारी/उद्दीन उद्दीन
वक्फ जामा महिद व रेले स्टेशन महिद खुरई जिला प्रतापगढ़ खुरई जिला
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबान डिमाण्ड (2012-013)

केवल रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	1,17,300/-	4%	8211/-		
						1125/12		8211/-	कुल मांग	
						08/7/013		8211/-		
								Nil		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्यप्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत वक्फ शासन द्वारा गठित)
वाकफ बोर्ड भोपाल का बजट प्रस्तावित गठन क्रम 07/96 25431/0.2232/341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7227/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुवि. क्र. D.No. 7372 /-

प्रति,

श्री हाजी गिहम्मा इश्राम, अलम मोहम्मद खान, अहमद
प्रबल समिति वक्फ जामा भाखिंदे सदर बाजार
निवासी: 13/20 गटर बाजार जिला: लाठार (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयवनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुताबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 4 नस्ती क्र. 1

डिमाण्ड नोटिस

2012-013 सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री हाजी मीर इब्न अली मीर अली रमजान इब्न अली प्रबन्ध समिति

वक्फ जामा मस्जिद सफर बाजार निवासी. 13/20 सफर बाजार जिला-नागौर (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व राशि हाजी मीर

केवल 27788/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2009-10 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	204700/-	7%	14329/-		A/C
						पूर्व राशि		13459/-		
						कुल राशि		27788/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7222/-भोपाल, दिनांक 13-08-2013

सुप्रीमकोर्ट-D.No. 7367/-

प्रति,

श्री मोहम्मद करीम उद्दौल्लाह पुंदा कमेरी वक्फ कम्पस भूमि
जिले रोड निवासी: बसारी रोड
जिला- छतरपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष से तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

दिनांक

शाखा आडिट

4 नस्ती क्र. 16

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

जि.मो. करीम उन्नावी प्रबल कमेटी वक्फ कम्प्लेक्स मुतवल्ली

जिल्ला निवासी बसारी रोड छतरपुर (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

हिलाकत के अनुसार

केवल 30037/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	663850/-	234752/-	429098/-	429100/-	7/1	30037/-		A/C 16
							(-)	29875/-		
			22814	1038	4875			162	40	शेष
			31.5.81	67/08	25000					
			22.11.012							
				(-)	29875/-					

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वसन्त

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7223/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सप्लाइ-फोल्ड D.NO. 7368/-

प्रति,

श्री मोहम्मद जमील इल्हाज मोहम्मद मल्हू इल्हाज प्रबंध समिति
वक्फ जिम्मा अस्थिति नौ गांवें छतरपुर जिल्ला नाला पार
बड़े पुल के पास नौ गांवें जिल्ला छतरपुर
(म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

2012-013

शाखा आडिट

4 नस्ती क्र. 2

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

श्री. मो. जमील उरा. मो. नरेश इत्यादि संबंध सहित

वडा जामा मस्जिद नं. गांव हजरपुर जिला नाला पार बेल पुल के पास नं. गांव - हतर

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूर्व 2012-013 इत्यादि अनुसार

केवल 16,667/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2012-013 से लगायत साल 2012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012/2013		-	-	-	2,38,100/-	77	16,667/-		A/C 2

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वक्फ

मद मुअज़
हस्ता. इंचार्ज शाखामुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

जो इस वक्फ अधिनियम 1995 का अन्तर्गत एक वक्फ बोर्ड द्वारा गठित
जब्त करण विवर जम्बुल परमाण्वित भोपाल फोन नम्बर 2943175, 29737341
ई मेल mp_wakfbord@yahoo.co.in

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड /D.NO. 7224/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
2-415 फोल्ड D.NO. 7369/-

प्रति,

श्री गफीय चोहरी अहमद वक्फ एजेंट जिला मकान न चार
दुफ्तगाव भऊ टखाना निवासी सहलीगर जीहलला
जिला छतरपुर (मध्य)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुताबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी धन्याप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

शाखा ऑडिट 4 नस्ती क्र. 23 ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 5768/13-6-2013
डिमाण्ड नोटिस 2012-013 सन् जावक नं. दिनांक
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री गफिय-चांदरी 31222 वक्फ एक्ट दिना मकाब व
चार दुकानान मऊ दरवाजा किवाली. सलीवर मोहल्ला हुतरपुर (कम्प्लो)
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबत अद्युक्त

केवल 1032/ रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल - 2012-013 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	2012 2013		-	-	-	157,600/-	77	11032/-		A/C 23
						22,3013	22/10	110000/-		
						22.3.013		1032/-		
						कुल मांग				
						हिसाबत :- 22,3013	22/10			
						22.3.013				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. बलक

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत वक्फ शासन द्वारा गठित)
 नेशनल वक्फ बोर्ड नियंत्रण कक्षा, गुरुदास नगर, भोपाल-462002, 204/11/96/22/1/101
 ई-मेल: mp_wakfboard@gmail.com

क्र. /नं. क. 339/13/बोर्ड भोपाल/बोर्ड /D.NO. 7225/- भोपाल दिनांक 13.08.2013

संश्लेषण D.NO. 7370 /-

प्रति,

श्री नारदू उवां मातापुत्र मुन्ना उवां शिवशंकर प्रहंदा समिति
वक्फ ई. टा. सिविल लाइज जिला कुमेदान मोहल्ला
फिल्ला दीवरागढ़ (जा. प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही को जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कायोलय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा अडिट 4 नस्ती क्र. 2/3 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता

वक्फ इंदौराह सिविल लाईन निवासी कुमेश्वर मालिका टीकमगढ़ (छत्तीसगढ़)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 1,32,695/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2005-06 से लगायत साल 012-013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
इंदौराह सिविल लाईन टीकमगढ़		10-011	-	-	-	2,70,000/-	4%	18,900/-		7/10 3/4
		011-012	-	-	-	2,70,000/-	4%	18,900/-		
		012-013	-	-	-	2,70,000/-	4%	18,900/-		
								56700/-		
								75,995/-		
								1,32,695/-		
								5000/-		
								1,27,695/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वक्फ

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
नाम वक्फ बोर्ड विवर जानकारी के सम्बन्ध में 0266 2641126 2217101
ई मेल अप- wakfbnbp@gmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7226 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013
सुबकोट D.NO. 7371 /-

प्रति,

श्री जिलाल मेहम्मद इब्राहिम खंवर कमेटी (जामा मस्जिद
हिसाला जार्डिन निवासी, सैल हागर माहल्ला (जामा मस्जिद
के सामने) जिला टीकगढ़ (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

शाखा नॉडिट 4 नस्ती क्र. 4 ताल केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे भोपाल 5784/14-06-2013
डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री किलाल मे. अहमद प्रबंध कमेटी जामा-
मस्जिद रिस्साला लाइन गिलादी- सैतुल साबर मो. 50 ला जामा मस्जिद के पास
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व हिसाबात डिमाण्ड

केवल 58929/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 2012-013 से लगायत साल भी अन्दर 15 दिनों में भेजे।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	192800/-	7%	13496/-		A/C 4
						- पूर्व शेष		45433/-		
						(कुल राशि)		58929 = 10		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. वलक

म. प्र. शाखा
हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल